[ 2018 ] 12 एस. सी. आर. 92

अश्विनी कुमार उपाध्याय

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

( 2018 की लिखित याचिका (सिविल) No.95)

सितंबर 25,2018

[ दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

भारत का संविधान-Art.32-विधायकों (सांसद/विधायक/एमएलसी) को उस अवधि के दौरान अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने से रोकने के लिए रिट/निर्देश जारी करने के लिए याचिका लिखें, जब वे सदस्य हैं।

संसद या राज्य विधानसभा/परिषद-याचिकाकर्ता की याचिका कि यू/आर। 49 , बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम अधिवक्ताओं पर अन्य रोजगार लेने के लिए एक स्पष्ट प्रतिबंध है-आयोजितः नियम 49 लागू होता है।

जहाँ एक अधिवक्ता किसी व्यक्ति का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी है,

सरकार, फर्म, निगम या संस्था-विधायकों को पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में इस तरह से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, निर्दिष्ट संस्थाओं से बहुत कम-विधायकों की स्थिति सदन (संसद/राज्य विधानसभा) के सदस्य की है-केवल यह तथ्य कि वे वेतन या अलग-अलग भत्ते प्राप्त करते हैं, इसके परिणामस्वरूप सरकार और विधायकों के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं बनता है, भले ही वेतन के नाम पर उनके द्वारा प्राप्त भुगतान का वर्णन किया गया हो-वास्तव में, विधायकों को लोक सेवक माना जाता है, लेकिन उनकी स्थिति सुई जेनरिस है और निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति, सरकार, फर्म, निगम या पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारियों में से एक नहीं है। इस तरह की चिंता-इसलिए, नियम 49 को विधायकों पर लागू नहीं किया जा सकता है-1961 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई अन्य स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो यह सुझाव दे कि कोई भी

सांसदों/विधायकों/एम. एल. सी. पर अधिवक्ताओं के रूप में वकालत जारी रखने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है-उस ओर से एक स्पष्ट प्रतिबंध के अभाव में, सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि जब वे सांसद/विधायक/एम. एल. सी. हों, तब उन्हें वकालत करने से रोक दिया जाए।

इसके अलावा, यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर है कि वह प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाए जो उचित पाए जा सकते हैं-आज तक, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को अधिवक्ताओं के रूप में अभ्यास करने से रोकने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है-दूसरी ओर, बार काउंसिल द्वारा एक स्पष्ट रुख अपनाया गया है कि विधायक होना स्वयं एक नियम नहीं है।

92 अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर.

कानून का अभ्यास करने के लिए अयोग्यता-योग्यता के बिना रिट याचिका में दावा की गई राहत-संसद सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954-अधिवक्ता अधिनियम, 1961-एस। 16 और 49-बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम-भाग VI-अध्याय II-धारा VII-r। 49 .

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

सरकार, फर्म, निगम या संस्था। निर्विवाद रूप से, विधायकों को पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत या चित्रित नहीं किया जा सकता है, निर्दिष्ट संस्थाओं से बहुत कम। क्योंकि, नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं है। की स्थिति विधायक (सांसद/विधायक/एमएलसी) सदन के सदस्य होते हैं।

( संसद/राज्य विधानसभा)। केवल यह तथ्य कि वे सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन के तहत वेतन प्राप्त करते हैं

सरकार, फर्म, निगम या इस तरह की संस्था। यहां तक कि सामान्य खंड अधिनियम में "व्यक्ति" शब्द की विस्तृत परिभाषा का कोई लाभ नहीं होगा। "रोजगार" शब्द एक विस्तृत अभिव्यक्ति हो सकती है लेकिन संवैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचित जन प्रतिनिधि होने के नाते विधायक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संसद/विधान सभा या परिषद में इसके सदस्यों के रूप में सीट लेकिन पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रोजगार में या उस मामले के लिए नहीं हैं। वे एक विशेष पर कब्जा करते हैं

स्थिति तब तक जब तक सदन भंग नहीं होता है। तथ्य यह है कि सदन के अध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या विशेषाधिकार कार्रवाई शुरू की जा सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में माना जा सकता है। इसी तरह, की भागीदारी

सदन में अपने कार्य के संचालन के लिए, किसी भी मानक द्वारा, किसी नियोक्ता को दी गई सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है। कोई व्यक्ति विधायक नहीं रह जाता है, केवल तभी जब सदन भंग हो जाता है या वह इस्तीफा दे देता है या पद खाली कर देता है।

विधायक बने रहने के लिए अयोग्यता।

इसलिए, नियम 49 को समग्र रूप से लागू किया जा सकता है और विधायकों पर लागू किया जा सकता है। [ पैरा 14] [109-ई-एच; 110-ए-सी]

1.2 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई अन्य स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

सुझाव दें कि निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, अर्थात्, सांसद/विधायक/एम. एल. सी. को जारी रखने के लिए कोई प्रतिबंध लगाया गया है। अधिवक्ताओं के रूप में कार्य करना। उस ओर से एक स्पष्ट प्रतिबंध के अभाव में, सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को उस अवधि के दौरान अभ्यास करने से रोकने के लिए खुला नहीं है जब वे सांसद/विधायक/एमएलसी हैं। नियम 49 को इस आधार पर निरस्त करना भी संभव नहीं है कि व्यक्तियों के बताए गए वर्ग को इसके स्वीप से बाहर रखा गया है, न कि समान या असमान के बीच भेदभाव का मामला होने के कारण समान रूप से व्यवहार किया जा रहा है। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है कि वह प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाए जो उचित पाए जाएं। आज तक, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को अधिवक्ताओं के रूप में काम करने से रोकने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। दूसरी ओर, बार काउंसिल द्वारा एक स्पष्ट रुख अपनाया गया है कि विधायक होना अपने आप में एक मुद्दा नहीं है।

कानून का अभ्यास करने के लिए अयोग्यता। [ पैरा 15] [110-डी-एफ]

1.3 विधायक (एम. पी./एम. एल. ए./एम. एल. सी.) एक अद्वितीय स्थान पर हैं। उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता है, लेकिन संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचकों द्वारा चुना जाता है। तथ्य यह है कि उन्हें सदन में अपनी सीट लेने से पहले राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा शपथ लेनी होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे हैं

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसा कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मामले में होता है।

मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य, पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार। शपथ के रूप से यह नहीं पता चलता है कि सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा, विधायक संविधान के अनुच्छेद 101 में निर्दिष्ट स्थितियों में ही अपनी सीट खाली करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 में चुने जाने और संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्यता का प्रावधान है। जहां तक विधायकों का संबंध है, अनुच्छेद अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम।

105 उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के मामले में, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से

अनुच्छेद 78 में बताए गए उनके कर्तव्यों का प्रावधान है। तथ्य यह है कि विधायक संविधान के अनुच्छेद 106 और उस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून के संदर्भ में समेकित निधि से वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि

विधायक वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करते हैं, और समेकित निधि से भत्ते या पेंशन उन्हें अधिवक्ताओं के रूप में काम करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, बिना निर्दिष्ट संस्थाओं के पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होने के। वे केवल उन क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन के सदस्य (ओं) के रूप में बने रहते हैं जहाँ से वे चुने गए हैं जब तक कि सदन भंग नहीं हो जाता है या यदि वह इस्तीफा दे देता है, जिसमें अयोग्यता के लिए सीट खाली करना भी शामिल है जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। [ पैरा 17] [111-ई-एच; 112-ए-डी] 1.4 केवल इसलिए कि संबंधित अधिवक्ता एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने

पेशेवर दुर्व्यवहार में लिप्त। उस तथ्य को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत और साबित करना होगा। इसी तरह, संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विधायकों (सांसदों) को शक्ति प्रदान करने से हितों का टकराव या संवैधानिक नैतिकता को प्रभावित करने का मामला या उस मामले में संस्थागत अखंडता नहीं होती है। विधायक के रूप में उपस्थित होने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए किसी भी स्पष्ट प्रतिबंध के बिना

अधिवक्ता, याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राहत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 1961 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संबंधित अवधि के दौरान अधिवक्ताओं के रूप में वकालत करने के लिए विधायक। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया सबसे निकटतम नियम नियम 49 है, जो हालांकि निर्वाचित जन प्रतिनिधियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति, फर्म, सरकार, निगम या संस्था के पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। चूँकि निषेध करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है या

[2018] 12 एस. सी. के दौरान विधायकों को अधिवक्ताओं के रूप में काम करने से रोकें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रासंगिक अवधि, राहत देने का प्रश्न, जैसा कि प्रार्थना की गई थी

नियम 49 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए वैकल्पिक राहत भी इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि विधायकों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस रिट पेटी में दावा की गई राहत योग्यता से रहित हैं। [ पारस 19-20] [116-G; 117-A, C, D-F]

कल्पना मेहता बनाम। भारत संघ (2018) 7 एससीसी 1 -

पर भरोसा किया।

एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ और एएनआर। ( 1979 ) 3

एससीसी 431: [ 1979 ] 3 एस. सी. आर. 254; डॉ. हनिराज एल. चुलानी

वी. बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (1996) 3 एससीसी

342 [ 1996 ] 1 पूरक। एस. सी. आर. 51; सुषमा सूरी बनाम सरकार.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्न। ( 1999 ) 1

एससीसी 330: [ 1998 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 187; सतीश कुमार

शर्मा बनाम। बार काउंसिल ऑफ एच. पी. (2001) 2 एस. सी. सी. 365:

[ 2001 ] 1 एस. सी. आर. 34; माधव एम. भोकरिकर बनाम गणेश

एल. आर. के माध्यम से एम. भोकरिकर (मृत)। ( 2004 ) 3 एससीसी

607 : [ 2004 ] 2 एस. सी. आर. 1122; मनोज नरूला बनाम। संघ का

भारत (2014) 9 एससीसी 1: [ 2014 ] 11 एससीआर 712;

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य

2018 ( 8 ) स्केल 72; कृष्णमूर्ति बनाम। शिवकुमार

& ओआरएस। ( 2015 ) 3 एससीसी 467: [ 2015 ] 4 एससीआर 987 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[ 1979 ] 3 एससीआर 254

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[ 1996 ] 1 पूरक। एससीआर 51

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[ 1998 ] 2 पूरक। एससीआर 187

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[ 2001 ] 1 एससीआर 34

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[ 2004 ] 2 एससीआर 1122

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

[ 2014 ] 11 एससीआर 712

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

2018 ( 8 ) स्केल 72

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[ 2015 ] 4 एससीआर 987

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

( 2018 ) 7 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 19 अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर.

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

2018 का सं. 95।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, शेखर नाफडे, वी. शेखर, वी. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आर. डी. उपाध्याय, शुभेंदु आनंद, श्रीमती अनिल कटियार,

सुश्री हरि प्रिया, नचिकेता जोशी, एस. एन. भट, शशांक शेखर, जतिन राजपूत, पृथ्वीराज सिंह, अश्विनी कुमार दुबे, डॉ. आशुतोष गर्ग, अविनाश कुमार। जैन, ओमप्रकाश परिहार, जमशेद मिस्त्री, दुष्यंत तिवारी, संजय कुमार पाठक, सुश्री शशि पाठक, अरविंद कुमार त्रिपाठी, अखिलेंद्र सिंह, एम. ए. चिन्नासामी, सुश्री अनुजा कपूर, उपस्थित पक्षों के वकील।

संजीव भटनागर (व्यक्तिगत रूप से आवेदक)।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था ए. एम. खानविलकर, जे. 1. के तहत दायर इस रिट याचिका द्वारा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में एक जनहित याचिका के रूप में, याचिकाकर्ता आदेश पत्र जारी करने या आदेश पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करता है।

संविधान के अधिकार के बाहर और सभी लोक सेवकों को अभ्यास करने की अनुमति देना। एक वकील के रूप में। इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, वर्तमान रिट याचिका में दावा की गई राहत का समर्थन करने वाले विभिन्न नायकों द्वारा कई अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए गए हैं।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, निर्वाचित जन प्रतिनिधि लोगों की सेवा करने के लिए संवैधानिक शपथ लेते हैं और उन्हें काम करना होता है सार्वजनिक कारणों के लिए पूर्ण-समय। वे अपना वेतन भी समेकित निधि से प्राप्त करते हैं। लोक सेवक होने के नाते, उन्हें अधिवक्ता के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि, यदि उन्हें कानून का अभ्यास करने की अनुमति दी जाती है, तो वे अपने निजी ग्राहकों से शुल्क लेंगे और साथ ही, सरकारी खजाने से वेतन लेना जारी रखेंगे, जो पेशेवर कदाचार से कम नहीं होगा। यह आग्रह किया जाता है कि कई विधायक सक्रिय रूप से विभिन्न अदालतों में अधिवक्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में,

वे संसद सदस्य/विधान सभा के सदस्य/विधान परिषद के सदस्य (संक्षेप में, "सांसद/विधायक/एमएलसी") के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जैसा कि जनता द्वारा माना जाता है। इसके अलावा, वे हमेशा टेलीविजन पर नियमित रूप से दिखाई देते हैं और [2018] 12 एस. सी. आर. देते हैं।

निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिवक्ता के रूप में। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अंत में दो व्यस्तताओं में से एक के प्रति लापरवाह हो जाएंगे और एक दी गई स्थिति में पेशेवर कदाचार के बराबर हितों के टकराव के दोषी होंगे। याचिकाकर्ता ने हितों के टकराव के मुद्दे को मजबूत करने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। 3. इस प्रकार यह आग्रह किया जाता है कि विधायकों को कानून का अभ्यास करने की अनुमति देने से उन्हें पेशेवर कदाचार के रूप में हितों के टकराव में शामिल होने की अनुमति मिल सकती है क्योंकि वे मामलों में अधिवक्ता के रूप में पेश हो सकते हैं, जो संसद/राज्य विधानमंडल के विवेक को चुनौती दे सकते हैं। यह संभव है कि उन्होंने उस विचार-विमर्श में भाग लिया हो जब उक्त कानून को पारित करने के लिए विधेयक संसद/राज्य विधानमंडल में पेश किया गया था। वे या तो अदालत के समक्ष एक ही स्थिति ले सकते हैं या एक अधिवक्ता के रूप में अपनी भूमिका में पूरी तरह से विपरीत स्थिति भी ले सकते हैं। दोनों ही मामलों में, यह हितों के टकराव का एक गंभीर मुद्दा होगा।

4. रिलायंस को विशेष रूप से नियमों के नियम 49 पर यह तर्क देने के लिए रखा गया है कि अधिवक्ताओं पर इसे लेने के लिए एक स्पष्ट प्रतिबंध है

अन्य रोजगार। यह भी आग्रह किया जाता है कि एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि होने के नाते, एक कानून निर्माता और विधायक के रूप में अपने कर्तव्य की प्रकृति से, यह एक पूर्णकालिक कार्य है, इस तथ्य के साथ कि उन्हें दिया जाने वाला वेतन संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 (संक्षेप में, '1954 अधिनियम') के तहत है। इसी तरह, विभिन्न शीर्षों के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार भत्तों का भुगतान किया जाता है।

1954 के अधिनियम के तहत (उदा. यात्रा और दैनिक भत्ते नियम, 1957; आवास और टेलीफोन सुविधा नियम, 1956; चिकित्सा सुविधा नियम, 1959; विदेश यात्रा के लिए भत्ते नियम, 1960; निर्वाचन क्षेत्र

भत्ता नियम, 1986; परिवहन खरीद के लिए अग्रिम नियम, 1986; और कार्यालय व्यय भत्ता नियम, 1986)। उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए निर्वाचन क्षेत्र के प्रति दायित्व को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचित जन प्रतिनिधि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए पूर्णकालिक रूप से काम करने के लिए बाध्य हैं और इस कारण से यह न तो संभव होगा और न ही व्यावहारिक होगा। वे अधिवक्ताओं के रूप में अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, जिन्हें अपने पेशे पर पूरे दिल से और पूर्णकालिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नतीजतन, विधायकों को अधिवक्ता के रूप में वकालत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

प्रासंगिक अवधि के दौरान।

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ ए. एम. खानविलकर, जे.]

5. उपरोक्त तर्कों को पुष्ट करने के लिए, निर्भरता रखी गई है।

एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ और डॉ. हनिराज एल. चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, सुषमा सूरी बनाम सरकार मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सतीश कुमार शर्मा बनाम एच. पी. 4 की बार काउंसिल और माधव एम. भोकरिकर बनाम गणेश एम. भोकरिकर (मृत) के माध्यम से LRs.5

6. याचिका का इस तर्क पर विरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई मूल राहत, वास्तव में, इस न्यायालय से एक अलग वर्ग के व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करना है, जो उस ओर से बनाए गए कानून के बिना अदालत के समक्ष अधिवक्ता के रूप में वकालत करते हैं, जबकि वे संसद/विधानसभा में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आग्रह किया जाता है कि सांसद/विधायक/एमएलसी और कर्मचारी और नियोक्ता के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता है। सरकार, केवल इसलिए कि वे 1954 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वेतन, भत्ते और पेंशन प्राप्त करते हैं जो संसद के सदस्यों पर लागू होते हैं या संसद के सदस्यों पर लागू होने वाले समान अधिनियम के अनुसार।

विधान सभा/परिषद के सदस्य। समेकित निधि से विधायकों द्वारा प्राप्त राशि के लिए वेतन का नामकरण स्वयं सरकार और निर्वाचित जन प्रतिनिधि के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं बनाता है।

इसके अलावा, एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि होने के नाते, व्यक्ति व्यापार, व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं है, सरकार का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होने के नाते। इस प्रकार समझा जाए तो, अन्य रोजगार पर प्रतिबंध के संबंध में प्रावधान, जैसा कि वर्तमान रूप में व्यक्त किया गया है, का कोई उपयोग नहीं है।

7. दूसरे शब्दों में, अब तक, कोई स्पष्ट निषेध भी नहीं है

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा भी शामिल है, जैसे कि अधिवक्ताओं पर प्रतिबंधों को नियंत्रित करने वाले उक्त नियमों के भाग VI, अध्याय II में, विशेष रूप से इसकी धारा VII जिसका शीर्षक 'अन्य रोजगारों पर धारा' है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस रिट याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है और

31 मार्च, 2018 को आयोजित अपनी आम परिषद की बैठक के कार्यवृत्त को 2018 की मद No.1420 के साथ रिकॉर्ड में रखा गया है। बार काउंसिल 1 ( 1979 ) 3 एस. सी. सी. 431

2 ( 1996 ) 3 एससीसी 342

3 ( 1999 ) 1 एससीसी 330

4 ( 2001 ) 2 एससीसी 365

5 ( 2004 ) 3 एससीसी 607 [2018] 12 एस. सी. आर.

वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए प्रश्न की जांच करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की थी। उप-समिति की यह सुविचारित राय थी कि विधायकों को कानून का अभ्यास करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। उक्त सिफारिश को अंततः बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सामान्य परिषद ने 31 मार्च, 2018 को बुलाई गई अपनी बैठक में स्वीकार कर लिया।

8. हमने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफड़े, श्री के. के. वेणुगोपाल, के लिए विद्वान अटॉर्नी जनरल को सुना है।

भारत, श्री अरविंद वर्मा, श्री एस. आर. सिंह, श्री वी. शेखर और श्री सुकुमार पट्टाजोशी, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री एस. एन. भट्ट, श्री संजय कुमार पाठक, डॉ. दिनेश रतन भारद्वाज, श्री ओम प्रकाश अजीत सिंह परिहार और श्री एम. ए. चिन्नासामी ने पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की भूमिका निभाई। 9. मुख्य मुद्दा यह हैः क्या सांसदों को उस अवधि के दौरान अधिवक्ता के रूप में काम करने से रोका जा सकता है जब वे संसद या राज्य विधानसभा/परिषद के सदस्य बने रहेंगे? हम इस मुद्दे सहित किसी अन्य मुद्दे से चिंतित नहीं हैं कि क्या इस तरह की प्रथा के आधार पर, संबंधित निर्वाचित लोक प्रतिनिधि को लाभ के पद या किसी अन्य आधार के आधार पर संबंधित सदन का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संविधान या उस संबंध में संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा प्रदान की गई अयोग्यता हो सकती है।

10. यह निर्विवाद है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं के नामांकन और अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण के नियमों और शर्तों को विनियमित करने का कार्य और कर्तव्य दिया गया है। द. हालाँकि, अधिवक्ताओं के रूप में बने रहने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें उचित प्रतिबंध होनी चाहिए। उस अर्थ में किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार

यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है। साथ ही, प्रतिबंध को या तो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या उसके तहत बनाए गए नियमों में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। उक्त अधिनियम का चौथा अध्याय एक अधिवक्ता के रूप में वकालत करने के अधिकार से संबंधित है। उक्त अधिनियम की धारा 49 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उप-धारा (1) (ए) से 1 (जे) में निर्दिष्ट मामलों पर अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। बार काउंसिल पहले ही अन्य रोजगार पर प्रतिबंधों के संबंध में नियम बना चुकी है।

उक्त अधिनियम की धारा 16 (3) और 49 (1) (जी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए। उक्त नियमों के भाग VI में धारा VII उक्त विषय से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः

[ विनी कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ ए. एम. खानविलकर, जे.]

" धारा VII-अन्य रोजगारों पर धारा

47. एक अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा; लेकिन

वह व्यवसाय करने वाली फर्म में एक सोता हुआ भागीदार हो सकता है बशर्ते कि उपयुक्त राज्य बार काउंसिल की राय में, व्यवसाय की प्रकृति राज्य की गरिमा के साथ असंगत न हो।

पेशा.

48. एक अधिवक्ता किसी कंपनी के निदेशक मंडल का निदेशक या अध्यक्ष हो सकता है, बशर्ते कि उसका कोई भी कर्तव्य कार्यकारी चरित्र का न हो। एक अधिवक्ता किसी भी संस्था का प्रबंध निदेशक या सचिव नहीं होगा।

49. एक अधिवक्ता किसी भी व्यक्ति, सरकार, फर्म, निगम या संस्था का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होगा, जब तक कि वह अभ्यास करना जारी रखता है, और ऐसा कोई भी कार्य करने पर इस तथ्य को बार काउंसिल को सूचित करें, जिसके रोल पर उसका नाम आता है और तब तक वह एक वकील के रूप में काम करना बंद कर देगा जब तक कि वह इस तरह के रोजगार में बना रहेगा।

*** ] 6 [

50. एक अधिवक्ता जिसे विरासत में मिला है, या उत्तरजीविता द्वारा सफल हुआ है

पारिवारिक व्यवसाय के लिए इसे जारी रखा जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं

उसके प्रबंधन में भाग लें। वह एक रखना जारी रख सकता है

किसी भी व्यवसाय में दूसरों के साथ हिस्सेदारी करें जो उसके द्वारा किया गया हो। उत्तरजीविता या विरासत या वसीयत द्वारा, बशर्ते वह नहीं करता है

व्यक्तिगत रूप से इसके प्रबंधन में भाग लें।

51. एक अधिवक्ता संसदीय विधेयकों की समीक्षा कर सकता है

पारिश्रमिक, वेतन पर कानूनी पाठ्य पुस्तकों को संपादित करें, प्रेस-जाँच करें

समाचार पत्रों के लिए, कानूनी परीक्षा के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करें, और प्रश्न पत्रों की जांच करें; और इसके खिलाफ नियमों के अधीन

विज्ञापन और पूर्णकालिक रोजगार, प्रसारण में संलग्न होना,

भारतीय बार काउंसिल द्वारा धारा 2 और 3 को हटा दिया गया, संकल्प No.65/2001, दिनांकित

इन, 2001, जो इस प्रकार हैः

उनके पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होने के बावजूद अधिनियम की धारा 28 (2) (डी) के साथ 24 (1) (ई) के तहत बनाए गए राज्य बार काउंसिल के नियमों के तहत।इन नियमों के प्रयोजन के लिए अधिकारी का

अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी नियुक्ति की इस प्रकार निर्दिष्ट शर्तें है और जिसे उक्त शर्तों के अनुसार, यदि कार्य करने की आवश्यकता है और/या

अपने नियोक्ता की ओर से अदालतों में। "[2018] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पत्रकारिता, व्याख्यान और शिक्षण विषय, दोनों कानूनी और

गैर-कानूनी।

52. इन नियमों में कुछ भी एक वकील को राज्य बार काउंसिल की सहमति प्राप्त करने के बाद स्वीकार करने से नहीं रोकेगा, अंशकालिक रोजगार बशर्ते कि राज्य की राय में

बार काउंसिल, रोजगार की प्रकृति उसके पेशेवर काम के साथ संघर्ष नहीं करती है और पेशे की गरिमा के साथ असंगत नहीं है। यह नियम ऐसे निर्देशों के अधीन होगा जो भारतीय बार काउंसिल द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं।

11. पैराग्राफ 9 में व्यक्त मुद्दे पर विचार करने के लिए

इसके अलावा, नियम 49 की प्रभावशीलता कुछ महत्वपूर्ण हो सकती है और केवल उस नियम को याचिकाकर्ता द्वारा सेवा में लगाया गया है और हस्तक्षेपवादी। क्योंकि, नियम 47 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां अधिवक्ता व्यवसाय में लगा हुआ है, नियम 48 तब आकर्षित होता है जब अधिवक्ता एक वकील होता है।

यह तब लागू होता है जब कोई अधिवक्ता अंशकालिक रोजगार स्वीकार करता है। इनमें से कोई भी निर्वाचित जन प्रतिनिधि पर लागू नहीं होता है। सबसे नजदीक प्रावधान नियम 49 है, अर्थात्, जब कोई अधिवक्ता किसी व्यक्ति, सरकार, फर्म, निगम या संस्था का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी बन जाता है।

चिंता की बात।

12. नियम 49 सतीश कुमार शर्मा (ऊपर) मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। उस मामले में, एल. एल. बी. की डिग्री प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी को नियुक्त किया गया

एच. पी. राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक (कानूनी), जिसे बाद में "लॉ ऑफिसर ग्रेड II" के रूप में फिर से नामित किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड ने अपीलार्थी को अपनी ओर से एक वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। अपीलार्थी को बार काउंसिल द्वारा एक अधिवक्ता के रूप में भी नामांकित किया गया था और उसे उस ओर से एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसे आगे बढ़ाने के लिए उसने आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया था। अपीलार्थी को कुछ समय बाद इस रूप में तैनात किया गया था

" अवर सचिव (कानूनी)-सह-विधि अधिकारी "पदोन्नति पर जिसके बाद बार काउंसिल ने उनका नामांकन रद्द करने के लिए कार्रवाई की। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 10 में, चुनौती पर विचार करते हुए, इस प्रकार कहा गया हैः

" 10. कानून के पेशे को एक महान पेशा कहा जाता है। यह केवल इसे इस तरह से बुलाकर महान नहीं रहता है, जब तक कि कोई [विनी कुमार उपाध्याय v.

भारत संघ और ए. एन. आर. [ ए. एम. खानविलकर, जे.]

एक कुलीन का निरंतर, संगत और अपेक्षित प्रदर्शन

इसकी गरिमा, गरिमा, उपयोगिता और प्रतिष्ठा के अनुरूप। अतः अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम अन्य बातों के साथ-साथ इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से न्याय के उद्देश्य की सेवा के लिए देश में स्वच्छ और कुशल बार बनाए रखने के लिए उनके सच्चे अक्षर और भावना को प्रभावी बनाया जाना चाहिए जो फिर से एक महान कार्य है।

पैराग्राफ 19 से 21 में, न्यायालय ने इन तथ्यों की जांच कीः

इस पर विचार किया जा रहा है और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला हैः

" 19. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी द्वारा एक पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त एक विधि अधिकारी को एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने के लिए नियम 49 के पैरा 3 के अर्थ के भीतर आने का अधिकार देने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे। इस तरह का नामांकन धारा 24 (1) (ई) के साथ पठित धारा 28 (2) (डी) के तहत बनाए गए नियमों से होना चाहिए।

एक्ट करें। इसलिए यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि यदि इसमें कोई नियम नहीं है

मान लीजिए, कोई हक नहीं है। स्पष्ट या सकारात्मक नियम के अभाव में, अपीलार्थी अपवाद और बार में फिट नहीं हो सकता था नियम 49 के पहले पैराग्राफ में निहित, स्पष्ट रूप से आकर्षित किया गया था जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित माना गया था। .....

संक्षेप और सार में हम पाते हैं कि अपीलार्थी एक था/है

पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी और उसका काम मुख्य रूप से या नहीं था

विशेष रूप से न्यायालय में कार्य करने या अभिवचन करने के लिए। इसके अलावा, निर्णयों पर हमला करने या उनसे संबंधित कानूनी अदालतों में विभिन्न चुनौती हो सकती हैं। स्वयं अपीलार्थी द्वारा की गई कार्रवाई जैसे कि वैधानिक विनियमन, अधिसूचना या आदेश जारी करने को चुनौती देना;

वैधानिक विनियमन, वैधानिक आदेश और अधिसूचनाएँ,

किसी भी अभियोजन या अन्य कानूनी/अर्ध-कानूनी कार्यवाही आदि की स्थापना/वापसी। किसी दी गई स्थिति में अपीलार्थी अपने नियोक्ता की अनुशासनात्मक अधिकारिता और/या बार काउंसिल की अनुशासनात्मक अधिकारिता के लिए उत्तरदायी हो सकता है। कर्तव्यों का टकराव हो सकता है।

और रुचियाँ। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी एक [2018] 12 एस. सी. आर. में होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत में मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने के लिए शर्मनाक स्थिति। इसके अलावा, बोर्ड की ओर से कुछ अदालतों में केवल कभी-कभार उपस्थिति, भले ही वे हों, हमारी राय में, अपीलार्थी को नियम 49 के पैरा 3 के संदर्भ में "विधि अधिकारी" के अर्थ के भीतर नहीं ला सकता है। सुषमा सूरी बनाम में निर्णय। सरकार. हमारे विचार में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मामला अपीलार्थी के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के संबंध में "बार से" अभिव्यक्ति का अर्थ विचार के लिए आया था, जिसमें एक अधिवक्ता या वकील के रूप में कम से कम सात साल की स्थिति की आवश्यकता थी। शब्द "अधिवक्ता" में अनुच्छेद 233 (2) में केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक निगम या एक निकाय कॉर्पोरेट के एक कानून अधिकारी को शामिल किया गया था, जो भारतीय बार काउंसिल नियमों के नियम 49 के अपवाद के तहत एक वकील के रूप में नामांकित है और अपने वकील के लिए अदालतों में वकालत कर रहा है।

कर्मचारी। उक्त निर्णय के पैरा 10 में कहा गया हैः ( एससीसी पीपी। 336-37 )

सरकार या एक निगमित निकाय अपने विधि अधिकारी के रूप में वेतन के भुगतान की शर्तों पर भी अधिवक्ता नहीं रहेगा। नियम 49 के संदर्भ में यदि शर्त यह है कि ऐसे अधिवक्ता को नियोक्ता की ओर से न्यायालयों में कार्य करने या अभिवचन करने की आवश्यकता है। इसलिए, परीक्षण यह नहीं है कि क्या ऐसा व्यक्ति है

वेतन की शर्तों पर या भुगतान द्वारा नियुक्त

पारिश्रमिक, लेकिन क्या वह कार्य करने या अभिवचन करने में लगा हुआ है

एक वकील के रूप में कानून की अदालत में उसकी ओर से। उस स्थिति में सगाई की शर्तें बिल्कुल भी मायने नहीं रखेंगी। सार यह है कि इस तरह के विधि अधिकारी ने अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम को किस काम में लगाया।

सरकार द्वारा किया जाता है-चाहे वह अदालत में कार्य करे या दलील दे

अपने नियोक्ता की ओर से या अन्यथा? अगर वह अभिनय नहीं कर रहा है या

अपने नियोक्ता की ओर से गुहार लगाते हुए, फिर वह होना बंद कर देता है

एक वकील। अगर सगाई की शर्तें ऐसी हैं कि वह कार्य या अभिवचन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य प्रकार का करता है

काम करें, फिर वह केवल सरकार का कर्मचारी बन जाता है या निगमित निकाय। इसलिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया

'अधिवक्ता' अभिव्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में समझा है जो है

वास्तव में अदालतों के समक्ष अभ्यास करने वाली कौन सी अभिव्यक्ति होगी

इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो इस तरह से नियुक्त विधि अधिकारी हैं।

सरकार या निगम निकाय द्वारा।

99

20. जैसा कि उपरोक्त पैरा में बताया गया है कि संकेतित परीक्षण यह है कि क्या

वकालत करें और न कि क्या ऐसा व्यक्ति शर्तों पर काम कर रहा है वेतन या पारिश्रमिक द्वारा भुगतान। सार यह है कि

सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा विधि अधिकारी क्या करता है।

21. वर्तमान मामले में, ऊपर वर्णित तथ्यों पर, उनके संबंध में

रोजगार के साथ-साथ द्वारा बनाए गए नियम के अभाव में

अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने के लिए एक विधि अधिकारी को हकदार बनाने वाला प्रतिवादी

अधिवक्ता के रूप में नामांकन करना। अतः, अपीलार्थी नहीं ले सकता है उपरोक्त निर्णय का लाभ।

( जोर दिया गया)

13. इस न्यायालय ने पिछले तीन न्यायाधीशों की पीठ का भी उल्लेख किया था।

डॉ. हनिराज एल. चुलानी (उपरोक्त) मामले में निर्णय, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा राज्य बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियम 1 (1) में किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया है।

जब वह पहले से ही एक अन्य पूर्णकालिक पेशे यानी चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा था, तो इस तरह से नामांकित होने से एक वकील के रूप में नामांकित होने के लिए योग्य

पेशा विचार के लिए आया। उक्त प्रावधान की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यर्पण के दुष्प्रभाव से ग्रस्त था और अनुच्छेद 19 (1) का भी उल्लंघन था। ( छ) भारत के संविधान का और उसके उप-अनुच्छेद (6) द्वारा दी गई छूट के अंतर्गत नहीं आता है। उक्त नियम की वैधता पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने के आधार पर भी हमला किया गया था।

उक्त चुनौती पर विचार करते हुए, न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि राज्य बार काउंसिल नियम, [2018] 12 एस. सी. आर. के आधार पर निर्धारित करने के लिए सक्षम हैं।

ऐसी शर्तें या प्रतिबंध जो पेशे में नए प्रवेशकों से अपेक्षित वकालत के उच्च और सटीक मानकों के अनुरूप हों। इस तरह की नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने में विधायिका द्वारा स्वयं निर्धारित दिशा-निर्देश निहित हैं कि शर्तें अधिवक्ताओं के पेशे को एक मजबूत आधार पर रखने के कार्य के उद्देश्य के फलने-फूलने के अनुरूप होनी चाहिए ताकि एक नया प्रवेशक उस महान पेशे में भर्ती होने में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से उचित ठहरा सके जिसमें वह प्रवेश चाहता है। पैराग्राफ 20 में, अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है।

राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा एक अन्य पेशे को वैध रूप से अधिवक्ता के रूप में नामांकन से वंचित किया जा सकता है। उस प्रश्न पर विचार करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 20. ..... हमारे विचार में उस कानूनी पेशे की प्रकृति को देखते हुए, जिसके लिए हमने पहले विस्तृत संदर्भ दिया है, राज्य बार काउंसिल को इस तरह के नियम बनाने में उचित माना जाएगा। एक पेशेवर का प्रवेश जो अन्य कार्यों को जारी रखने पर जोर देता है

कानूनी पेशे के साथ-साथ पेशा। जैसा कि हमारे पास है।

पहले देखे गए कानूनी पेशे पर पूर्णकालिक ध्यान देने की आवश्यकता है

और दो घोड़ों पर सवार एक वकील को स्वीकार नहीं करेंगे या एक समय में अधिक। उसे पूर्णकालिक अधिवक्ता होना चाहिए या नहीं।

बिल्कुल भी।

यह स्पष्ट है कि भले ही चिकित्सा पेशा भी एक प्रतिष्ठित पेशा हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि वह एक प्रतिष्ठित पेशा होगा। डॉक्टर के साथ-साथ एक अभ्यास करने वाले वकील भी। उनकी ओर से इस तरह का आग्रह न केवल उनके लिए बल्कि उनके अपने ग्राहकों के साथ-साथ रोगियों के लिए भी एक अजीब स्थिति पैदा करेगा। यह कल्पना करना आसान है कि अपीलार्थी जैसे अभ्यास करने वाले शल्य चिकित्सक को सुबह या शाम को अदालत के समय से परे भी आपातकालीन ऑपरेशन में भाग लेने की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर उसके कानूनी पेशे के आदेश हो सकते हैं

उसे अगले मामले में बहस करने के लिए मामलों का अध्ययन करने की आवश्यकता है

अदालत में दिन। इन परिस्थितियों में उनका ध्यान विभाजित हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से वह इस दुविधा में होगा कि शाम को ऑपरेशन की मेज पर अपने मरीज की देखभाल करनी है या अपने कानूनी पेशे में भाग लेना है और अगले दिन के लिए मामले तैयार करने के लिए काम करना है और अदालत में अगले दिन मामलों के कुशल संचालन के लिए अपने मुवक्किलों से निर्देश लेना है।

यदि वह एक [विनी कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ ए. एम. खानविलकर, जे.]

मूल पक्ष के अधिवक्ता को अगले दिन अदालत में गवाहों को परीक्षण के लिए तैयार करने के लिए अपनी शाम और यहां तक कि देर रात बिताने की आवश्यकता हो सकती है। इन परिस्थितियों में एक अधिवक्ता के रूप में यदि वह अदालत के घंटों के बाद अपने कक्ष में अपने मुवक्किलों पर ध्यान देता है और यदि उसे उसी समय किसी आपातकालीन ऑपरेशन में भाग लेने की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए यह चुनना बहुत मुश्किल होगा कि क्या वह अपने मुवक्किलों को छोड़कर ऑपरेशन थिएटर में अपने रोगी की देखभाल करने के लिए जाए या अपने रोगियों की देखभाल करने से इनकार करे। यदि वह पहले विकल्प का चयन करता है तो उसके ग्राहक चिल्लाते हैं, उसका

एक वकील और एक चिकित्सक दोनों के रूप में नामांकन इस प्रकार पहले के 'त्रिशंकु' के समान होगा जो न तो स्वर्ग में होगा और न ही पृथ्वी पर। यह स्वयंसिद्ध है कि एक वकील को जलाना पड़ता है अगले दिन अदालत में बहस के लिए अपने मामलों को तैयार करने के लिए आधी रात का तेल। वकीलों को हर दिन अदालतों में पेश होने पर जाँच का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अदालत के घंटों के बाद

अधिवक्ता को अपने कक्ष में अपने मुवक्किलों की उपस्थिति के साथ या उनके बिना अपनी अध्ययन मेज पर कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है।

परामर्श के लिए उपलब्ध हो सकता है। एक अधिवक्ता के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उसे देने की आवश्यकता होती है

अपने कानूनी पेशे की ओर इस तरह के निरंतर ध्यान से भटकने से निश्चित रूप से उनकी पेशेवर क्षमता और विशेषज्ञता पर प्रभाव पड़ेगा। यदि उसे एक साथ डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाती है तो कानूनी पेशे पर उसके पूर्णकालिक ध्यान देने की आवश्यकता प्रतिकूल होगी। प्रभावित हुए। नतीजतन, एक डॉक्टर का पेशा कितना भी सम्मानजनक क्यों न हो, उसे एक साथ कानून का अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो एक पूर्णकालिक व्यवसाय है। यह [2018] 12 एस. सी. आर. सुनिश्चित करने के लिए है।

कानूनी व्यवसायियों का अपने पेशे के प्रति पूर्णकालिक ध्यान और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की दृष्टि से ताकि वे न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका को पूरा कर सकें और न्याय के प्रशासन में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें, कि विवादित नियम राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह किसी भी तरह से मनमाना है या यह उस पेशे में नए प्रवेश करने वाले पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है जिसे एक साथ किसी अन्य पेशे का अभ्यास नहीं करने के लिए कहा जाता है और यदि वह ऐसा करता है तो उसे कानूनी पेशे में प्रवेश से वंचित करने के लिए। यह सच है जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि केंद्रीय बार काउंसिल का नियम एक वकील को एक साथ किसी भी कार्य को करने के लिए स्वीकार नहीं करता है।

व्यवसाय और यह स्पष्ट रूप से किसी भी एक साथ पेशे पर गुस्सा नहीं करता है। लेकिन ये पेशेवर आचरण के सामान्य नियम हैं। जहाँ तक पेशे में नामांकन को विनियमित करने की बात है

इस संबंध में यह कार्य विधायिका द्वारा पूरी तरह से राज्य बार परिषदों को सौंपा गया है जैसा कि पहले देखा गया है। अधिनियम की योजना पर विचार करना। उस कार्य को करते समय यदि राज्य बार काउंसिल द्वारा किसी अन्य पेशेवर को बार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने के लिए विवादित नियम लागू करके पेशे में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जब वह दूसरा पेशा नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन उसी को कानूनी अभ्यास के साथ जारी रखना चाहता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि बार काउंसिल ने इस तरह के नियम को लागू करके मौलिक पर कोई अनुचित प्रतिबंध लगा दिया है।

संभावित व्यवसायी का अधिकार जो कानूनी पेशे में प्रवेश करना चाहता है।

( जोर दिया गया)

इस प्रकार कहने के बाद, अनुच्छेद 21 में न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

“ 21 ..... ..... ..... हमारे विचार में विवादित नियम पेशेवर ले जाने के अधिकार पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाता है।

किसी अन्य व्यवसाय पर और इस तरह के पेशे को जारी रखने पर जोर देना, जबकि यह ऐसे व्यक्ति के कानूनी पेशे में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। यदि अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क को स्वीकार किया जाता है और कोई भी व्यक्ति अन्य पेशे को कानून की डिग्री प्राप्त करने और अन्य अश्विनी कुमार उपाध्याय v को पूरा करने के बाद कानूनी पेशे में शामिल होने की अनुमति है।

धारा 24 की आवश्यकताएँ, तब यहां तक कि चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंजीनियर और वास्तुकार भी वैध रूप से कहेंगे कि अदालत के घंटों के दौरान वे कानून का अभ्यास करेंगे और साथ ही वे अदालत के घंटों से परे अपने अन्य पेशे को जारी रखेंगे। यदि एक समय में एक से अधिक व्यवसायों को जारी रखने के इच्छुक पेशेवरों की इस तरह की एक साथ प्रथाओं की अनुमति दी जाती है, तो कानूनी पेशे द्वारा अपने सदस्यों से अपेक्षित अटूट समर्पण की अपेक्षा की जाती है -

प्रतिकूल रूप से प्रभावित। यदि राज्य बार काउंसिल का गठन करने वाले कानूनी पेशे के चुने गए प्रतिनिधियों ने अपने विवेक से सोचा था कि कानूनी पेशे में दोहरे व्यवसायियों की ऐसी प्रविष्टियों की अनुमति नहीं देना उचित है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वे

कुछ भी अनुचित किया है या मनमाने ढंग से बनाया है या

अनुचित नियम "।

14. ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्पष्टीकरण निर्विवाद है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या भारतीय बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियमों के तहत लगाए गए प्रतिबंध में निर्वाचित जन प्रतिनिधि या विधायक शामिल हैं। के रूप में

भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाया गया निकटतम नियम नियम 49 है। हालांकि, नियम 49 लागू होता है जहां एक वकील किसी भी व्यक्ति, सरकार, फर्म, निगम या संस्था का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होता है। निर्विवाद रूप से, विधायकों को पूर्णकालिक नहीं माना जा सकता या उनकी विशेषता नहीं बताई जा सकती है

वेतनभोगी कर्मचारी जैसे, निर्दिष्ट संस्थाओं से बहुत कम। क्योंकि, नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं है। विधायक (सांसद/विधायक/एमएलसी) की स्थिति सदन के सदस्य की होती है।

( संसद/राज्य विधानसभा)। केवल यह तथ्य कि वे 1954 के अधिनियम के तहत वेतन या उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के तहत अलग-अलग भत्ते प्राप्त करते हैं, सरकार और विधायकों के बीच नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध का निर्माण नहीं करता है, भले ही उनके द्वारा प्राप्त भुगतान के विवरण के बावजूद

वेतन मिलता है। वास्तव में, विधायकों को लोक सेवक माना जाता है, लेकिन उनकी स्थिति सुई जेनरिस है और निश्चित रूप से पूर्णकालिक वेतनभोगी में से एक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, सरकार, फर्म, निगम या संस्था के कर्मचारी। यहां तक कि सामान्य खंड अधिनियम में "व्यक्ति" शब्द की विस्तृत परिभाषा का भी कोई लाभ नहीं होगा। "रोजगार" शब्द एक विस्तृत अभिव्यक्ति हो सकती है लेकिन संवैधानिक योजना को देखते हुए,

निर्वाचित जन प्रतिनिधि होने के नाते विधायक संसद/विधान सभा या परिषद में इसके सदस्यों के रूप में एक सीट पर कब्जा करते हैं लेकिन [2018] 12 एस. सी. आर. नहीं हैं।

पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियोजन में या उस मामले में। वे तब तक एक विशेष पद पर रहते हैं जब तक कि सदन भंग नहीं हो जाता। तथ्य यह है कि सदन के अध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक या विशेषाधिकार कार्रवाई शुरू की जा सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में माना जा सकता है। इसी तरह, की भागीदारी सदन में अपने कार्य के संचालन के लिए विधायिकाओं को किसी भी मानक से किसी नियोक्ता को दी गई सेवा नहीं माना जा सकता है। कोई व्यक्ति विधायक नहीं रह जाता है, केवल तभी जब सदन भंग हो जाता है या वह विधायक बने रहने के लिए अयोग्यता होने पर इस्तीफा दे देता है या सीट खाली कर देता है। इसलिए, किसी भी मानक से, नियम 49 को समग्र रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और विधायकों पर लागू किया जा सकता है। नतीजतन, इस सवाल पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या विधायकों के कर्तव्य की प्रकृति ऐसी है कि इसमें पूर्णकालिक कार्य शामिल है और वह व्यक्ति

संबंधित कानूनी पेशे पर पूरा ध्यान देने की स्थिति में नहीं होगा। यह बार काउंसिल को विचार करने का विषय है।

15. 1961 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में कोई अन्य स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो दूर से भी किसी भी प्रतिबंध का सुझाव दे।

निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों, अर्थात् सांसद/विधायक/एम. एल. सी. पर अधिवक्ता के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए अधिरोपित किया गया है। उस ओर से एक स्पष्ट प्रतिबंध के अभाव में, इस न्यायालय के लिए निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को उस अवधि के दौरान अभ्यास करने से रोकने के लिए खुला नहीं है जब वे सांसद/विधायक/एमएलसी हैं। नियम 49 को इस आधार पर निरस्त करना भी संभव नहीं है कि व्यक्तियों के बताए गए वर्ग को इसके स्वीप से बाहर रखा गया है, न कि समान या असमान के बीच भेदभाव का मामला होने के कारण समान रूप से व्यवहार किया जा रहा है। जैसा कि डॉ. हनिराज एल. चुलानी (उपरोक्त) के मामले में स्पष्ट किया गया है, यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर है कि वह प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाए जो उचित पाए जाएं। आज तक, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को अधिवक्ताओं के रूप में काम करने से रोकने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। दूसरी ओर, बार काउंसिल द्वारा एक स्पष्ट रुख अपनाया गया है कि विधायक होना अपने आप में एक मुद्दा नहीं है।

कानून का अभ्यास करने के लिए अयोग्यता। 16. एम. करुणानिधि (ऊपर) मामले में संविधान पीठ के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था। उस मामले में, अदालत को बुलाया गया था

भारतीय दंड संहिता की धारा 21 (12) के उद्देश्य की जांच करने के लिए, जिसमें "लोक सेवक" अभिव्यक्ति को उसमें निर्दिष्ट किसी भी विवरण के तहत आने वाले व्यक्ति को दर्शाने के लिए परिभाषित किया गया है। खंड

( 12 ) धारा 21 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सेवा में प्रत्येक व्यक्ति या "सरकार का वेतन" या अश्विनी कुमार उपाध्याय v के लिए शुल्क या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक।

भारत संघ और ए. एन. आर. [ ए. एम. खानविलकर, जे.]

सरकार द्वारा किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य का पालन। संविधान पीठ के समक्ष सवाल यह था कि क्या मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी भी मायने में लोक सेवक माना जाता है। अदालत ने कहा कि भले ही मुख्यमंत्री सरकार की सेवा में सख्ती से न हों, जो निस्संदेह इसका संकेत देता है

स्वामी और सेवक का संबंध जहां नियोक्ता वेतन या पारिश्रमिक के आधार पर कर्मचारी को नियुक्त करता है; लेकिन फिर न्यायालय उन्होंने कहा कि जहां तक आई. पी. सी. की धारा 21 (12) के दूसरे अंग का संबंध है, यह "सरकार के वेतन में" भविष्यवाणी करता है। यह बहुत व्यापक विस्तार का था ताकि इसके दायरे में लोक सेवक को भी शामिल किया जा सके जो अपने स्वामी से वेतन प्राप्त करने वाला एक नियमित कर्मचारी नहीं हो सकता है। इसके बाद न्यायालय उस संवैधानिक योजना पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा जिसके तहत मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा "नियुक्त" किया जाता है और उस क्षमता में उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को परिभाषित किया जाता है। जैसे ही न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की "नियुक्ति" करता है और उसे विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार वेतन भी दिया जाता है, सरकारी निधि से यह निष्कर्ष निकाला गया कि मुख्यमंत्री "सरकार के वेतन में" एक व्यक्ति बन जाता है ताकि आई. पी. सी. की धारा 21 के खंड (12) के भीतर पूरी तरह से आ जाए।

17. हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम निर्दिष्ट संस्थाओं के "एक पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी" अभिव्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जैसा कि नियम 49 में स्पष्ट किया गया है और इससे भी अधिक एक वकील को कानून का अभ्यास करने से रोकने के मुद्दे के साथ जब वह प्रासंगिक अवधि के दौरान एक विधायक है। जहां तक विधायकों (सांसद/विधायक/एमएलसी) का संबंध है, वे

एक अद्वितीय स्थिति पर कब्जा करें। उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता है, लेकिन संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचकों द्वारा चुना जाता है। तथ्य यह है कि उन्हें सदन में अपनी सीट लेने से पहले राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा शपथ लेनी होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसा कि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के मामले में होता है। अनुच्छेद 99

यह अभिधारणा है कि संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य, पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा उस संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार। शपथ के रूप से यह नहीं पता चलता है कि सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा, विधायक संविधान के अनुच्छेद 101 में निर्दिष्ट स्थितियों में ही अपनी सीट खाली करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 में चुने जाने और [2018] 12 एस. सी. आर. होने के लिए अयोग्यता का प्रावधान है।

संसद के किसी भी सदन का सदस्य। जहां तक विधायकों की बात है,

अनुच्छेद 105 उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के मामले में, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उनके कर्तव्यों का प्रावधान करता है जैसा कि अनुच्छेद 78 में बताया गया है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि एम. करुणानिधि (उपरोक्त) के मामले में स्पष्टीकरण, नियम 49 के उद्देश्य पर विचार करते हुए कोई लाभ नहीं होगा, जो तब आकर्षित होता है जब अधिवक्ता किसी भी व्यक्ति, फर्म का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होता है।

सरकार, निगम या संस्था। तथ्य यह है कि विधायक आकर्षित करते हैं

संविधान के अनुच्छेद 106 और उस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून के संदर्भ में समेकित निधि से वेतन और भत्ते, यह नहीं मानते हैं कि सरकार के पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी (कर्मचारियों) का संबंध या अन्यथा बनाया गया है। विधायक वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करते हैं, और समेकित निधि से भत्ते या पेंशन उन्हें अधिवक्ताओं के रूप में काम करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, बिना निर्दिष्ट संस्थाओं के पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी होने के। वे केवल उन क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन के सदस्य (ओं) के रूप में बने रहते हैं जहाँ से वे चुने गए हैं जब तक कि सदन भंग नहीं हो जाता है या यदि वह अयोग्य होने के कारण सीट खाली करने सहित इस्तीफा दे देता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

कानून।

18. इसके बाद तर्क संवैधानिक नैतिकता, सकारात्मक समानता और संस्थागत अखंडता के सिद्धांत पर आगे बढ़ता है। बहस के दौरान, मनोज नरूला बनाम भारत संघ, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य और कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य में इस न्यायालय के कथन पर जोर दिया गया था। यह

7 ( 2014 ) 9 एससीसी 1 8 2017 की सिविल अपील No.2357 में 4 जुलाई, 2018 को दिया गया निर्णय; (2018) 8 स्केल 72

9 9 (2015) 3 एस. सी. सी. 467 [विनी कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ ए. एम. खानविलकर, जे.]

" अध्याय II

पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक

[ अधिनियम की धारा 49 (1) (सी) के तहत प्रावधान के साथ पढ़े गए नियम]

प्रस्तावना

एक अधिवक्ता, हर समय, न्यायालय के एक अधिकारी, समुदाय के एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य और एक सज्जन के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप व्यवहार करेगा, यह ध्यान में रखते हुए कि जो व्यक्ति बार का सदस्य नहीं है, या बार के किसी सदस्य के लिए उसकी गैर-पेशेवर क्षमता में जो वैध और नैतिक हो सकता है, वह अभी भी एक अधिवक्ता के लिए अनुचित हो सकता है। पूर्वगामी दायित्व की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, एक अधिवक्ता निडरता से अपने मुवक्किल के हितों को बनाए रखेगा, और अपने आचरण में अक्षर और भावना दोनों में उल्लिखित नियमों का पालन करेगा। इसके बाद जिन नियमों का उल्लेख किया गया है, उनमें सामान्य मार्गदर्शक के रूप में अपनाए गए आचरण के नियम और शिष्टाचार शामिल हैं; फिर भी उनका विशिष्ट उल्लेख किया जाएगा।

इसे अन्य समान रूप से अनिवार्य के अस्तित्व के इनकार के रूप में नहीं माना जाएगा, हालांकि विशेष रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

धारा I-न्यायालय के प्रति कर्तव्य

XXX

XXX

XXX

खंड II-ग्राहक के प्रति कर्तव्य

11. एक अधिवक्ता न्यायालयों में किसी भी संक्षिप्त विवरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य है या

न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष जिसमें या उसके समक्ष वह बार में अपनी स्थिति और मामले की प्रकृति के अनुरूप शुल्क पर वकालत करने का दावा करता है। विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं

एक विशेष संक्षिप्त को स्वीकार करने से उनके इनकार को उचित ठहराएँ।

12. एक अधिवक्ता आम तौर पर सगाई से पीछे नहीं हटेगा।

एक बार स्वीकार किए जाने के बाद, पर्याप्त कारण के बिना और जब तक कि उचित न हो

और ग्राहक को पर्याप्त सूचना दी जाती है। किसी मामले से वापस लेने पर, वह शुल्क का ऐसा हिस्सा वापस करेगा जो अर्जित नहीं किया गया है।

13. एक अधिवक्ता को एक संक्षिप्त विवरण स्वीकार नहीं करना चाहिए या किसी मामले में पेश नहीं होना चाहिए।

जिसे उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह एक गवाह होगा और यदि एक मामले में लगे होने के कारण, यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक गवाह [2018] 12 एस. सी. आर. है।

तथ्य के एक भौतिक प्रश्न पर, उसे एक अधिवक्ता के रूप में उपस्थित होना जारी नहीं रखना चाहिए यदि वह अपने मुवक्किल को खतरे में डाले बिना सेवानिवृत्त हो सकता है। रुचियाँ।

14. एक अधिवक्ता अपनी सगाई की शुरुआत में और उसके जारी रहने के दौरान अपने मुवक्किल को पक्षों के साथ अपने संबंध और विवाद में या उसके बारे में किसी भी हित के संबंध में ऐसे सभी पूर्ण और स्पष्ट प्रकटीकरण करेगा जो उसे शामिल करने या जारी रखने में उसके मुवक्किल के निर्णय को प्रभावित करने की संभावना है।

सगाई।

15. एक अधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह निडरता से अपने या किसी अन्य के लिए किसी भी अप्रिय परिणाम की परवाह किए बिना अपने मुवक्किल के हितों को सभी निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीकों से बनाए रखे। वह अभियुक्त के अपराध के बारे में उसकी व्यक्तिगत राय की परवाह किए बिना अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का बचाव करेगा, यह ध्यान में रखते हुए कि उसकी वफादारी कानून के प्रति है जिसके लिए आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त सबूत के बिना दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। 16. आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश होने वाला वकील इस तरह से अभियोजन का संचालन करेगा कि इससे निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जा सके। सक्षम सामग्री का दमन

अभियुक्त की बेगुनाही स्थापित करने से सख्ती से बचा जाएगा।

17. एक अधिवक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा द्वारा लगाए गए दायित्वों का उल्लंघन नहीं करेगा। 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम।

18. एक अधिवक्ता किसी भी समय, उकसाने के लिए एक पक्ष नहीं होगा

मुकदमेबाजी।

19. अधिवक्ता किसी भी व्यक्ति के निर्देश पर कार्य नहीं करेगा।

अपने मुवक्किल या उसके अधिकृत एजेंट के अलावा।

20. एक अधिवक्ता पर एक आकस्मिक शुल्क के लिए निर्धारित नहीं करेगा

21. एक अधिवक्ता किसी भी कार्रवाई योग्य दावे में किसी भी हिस्से या ब्याज को नहीं खरीदेगा या उसमें निवेश नहीं करेगा या उसके लिए शर्त नहीं लगाएगा या प्राप्त करने के लिए सहमत नहीं होगा। इस नियम में कुछ भी स्टॉक, शेयरों और डिबेंचरों या सरकारी प्रतिभूतियों, या किसी भी साधन पर लागू नहीं होगा, जो कुछ समय के लिए, कानून या सीमा शुल्क द्वारा परक्राम्य हैं, या माल के स्वामित्व के किसी भी व्यापारिक दस्तावेज पर लागू नहीं होगा।

[ विनी कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ ए. एम. खानविलकर, जे.]

22. एक अधिवक्ता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने स्वयं के लाभ के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए, अपने नाम या किसी अन्य नाम पर, किसी भी मुकदमे, अपील या आदेश के निष्पादन में बेची गई किसी भी संपत्ति के लिए बोली या खरीद नहीं करेगा।

अन्य कार्यवाही जिसमें वह किसी भी तरह से पेशेवर रूप से संलग्न था। हालाँकि, यह निषेध एक अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के लिए बोली लगाने या खरीदने से नहीं रोकता है।

24. एक अधिवक्ता ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे वह अपने मुवक्किल द्वारा उस पर रखे गए विश्वास का दुरुपयोग या लाभ उठाए। 25. एक अधिवक्ता को मुवक्किल द्वारा उसे सौंपे गए धन का लेखा रखना चाहिए, और खातों में मुवक्किल से या उसकी ओर से प्राप्त राशि, उसके लिए किए गए खर्च और संबंधित तिथियों के साथ शुल्क के कारण किए गए डेबिट और अन्य सभी आवश्यक विवरण दिखाना चाहिए।

कार्यवाहियों के दौरान, कोई भी अधिवक्ता, संबंधित मुवक्किल की लिखित सहमति के अलावा, खर्च के किसी भी हिस्से को शुल्क में बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। 27. जहाँ उसके मुवक्किल की ओर से कोई राशि प्राप्त होती है या उसे दी जाती है, वहाँ ऐसी रसीद के तथ्य को मुवक्किल को जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए।

29. जहां शुल्क को अनिश्चित छोड़ दिया गया है, वहां अधिवक्ता उस कार्यवाही की समाप्ति पर, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था, अपने हाथ में बचे मुवक्किल के किसी भी धन में से उस समय तक तय किए गए न्यायालय के नियमों के तहत देय शुल्क की कटौती करने का हकदार होगा और शेष राशि, यदि कोई हो, ग्राहक को वापस कर दिया।

30. ग्राहक के खाते की एक प्रति मांग पर उसे दी जाएगी बशर्ते आवश्यक प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान किया जाए।

31. एक अधिवक्ता ऐसी व्यवस्थाओं में प्रवेश नहीं करेगा जिनके द्वारा धन दिया जाता है।

32. एक वकील इस उद्देश्य के लिए अपने मुवक्किल को पैसे उधार नहीं देगा। किसी कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही में जिसमें वह ऐसे मुवक्किल द्वारा लगाया गया है।

33. एक अधिवक्ता जिसने, किसी भी समय, किसी वाद, अपील या अन्य मामले की स्थापना के संबंध में सलाह दी है या आवेदन किया है। अभिवचन, या किसी पक्ष के लिए कार्य करना, विरोधी पक्ष के लिए कार्य नहीं करेगा, उपस्थित नहीं होगा या अभिवचन नहीं करेगा।

XXX "

XXX

XXX

नतीजतन, पेशेवर कदाचार के मामले को होना होगा

ईडी और मामले के आधार पर साबित किया गया।

19. इस प्रकार, केवल इसलिए कि संबंधित अधिवक्ता एक निर्वाचित प्रतिनिधि है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सामाजिक दुराचार में लिप्त है। इसी तरह, न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्षों (सांसदों) को शक्ति प्रदान करना।

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. [ ए. एम. खानविलकर, जे.]

संवैधानिक न्यायालयों का परिणाम स्वयं हितों के टकराव या संवैधानिक नैतिकता को प्रभावित करने का मामला या उस मामले के लिए नहीं होता है।

संस्थागत अखंडता। मुख्य याचिका में दावा की गई राहत के संदर्भ में, हम अन्य तर्कों पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं कि भारत को समर्पित और पूर्णकालिक विधायकों की आवश्यकता है, जो ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर सभी कार्य दिवसों पर ईमानदारी से संसद में उपस्थित होंगे। क्योंकि, हमारे द्वारा विचार किया जाने वाला सीमित प्रश्न यह है कि क्या विधायक प्रासंगिक अवधि के दौरान अधिवक्ताओं के रूप में वकालत करने से प्रतिबंधित हैं और किए जा सकते हैं। इसका उत्तर अधिवक्ताओं के आचरण को नियंत्रित करने वाले मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के आधार पर दिया जा सकता है। जैसा कि कल्पना मेहता बनाम भारत संघ 1 में कहा गया है, न्यायालय विधायिका को सौंपे गए कार्यों को हड़प नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में, भारतीय बार काउंसिल द्वारा विधायकों के अधिवक्ता के रूप में उपस्थित होने के संबंध में लगाए गए किसी भी स्पष्ट प्रतिबंध के बिना, याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राहत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

20. संक्षेप में, हमारा मानना है कि 1961 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है -

संबंधित अवधि के दौरान अधिवक्ताओं के रूप में वकालत करने के लिए विधायक। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया सबसे निकटतम नियम नियम 49 है, जो हालांकि निर्वाचित जन प्रतिनिधियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति, फर्म, सरकार, निगम या संस्था के पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसा कि कोई नहीं है प्रासंगिक अवधि के दौरान अधिवक्ताओं के रूप में वकालत करने से विधायकों को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने का प्रावधान व्यक्त करते हुए, राहत देने का सवाल, जैसा कि प्रार्थना की गई है, उन्हें अधिवक्ताओं के रूप में वकालत करने से प्रतिबंधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

मुखरता से। यहां तक कि नियम 49 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए वैकल्पिक राहत भी हमें स्वीकार्य नहीं है। अब तक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया है कि विधायकों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। नतीजतन, इस रिट याचिका में दावा की गई राहत योग्यता से रहित हैं।

21. तदनुसार, इस रिट याचिका को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, अंतर्वर्ती आवेदन हैं: भी निकाल दिया।

दिव्या पांडे

लिखित

याचिका खारिज की गई।

10 ( 2018 ) 7 एससीसी 1